महानिदेशालय, कारागार
राजस्थान, जयपुर
लेखाक ....
निरीक्षक ....
महानिरीक्षक ....
A.C.R.
लिय अधीक्षक ....
क 0 7 MAR 2008

199

राजस्थान सरकार
गृह(ग्रुप–1)विभाग

प. 20(8)गृह–1/2007 जयपुर, दिनांक 5 MAR 2008

1. महानिदेशक पुलिस,
   राज. जयपुर,
2. महानिदेशक कारागार विभाग,
   राज जयपुर,
3. महानिदेशक नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा,
   राज. जयपुर।
4. निदेशक अभियोजन विभाग,
   राज. जयपुर।
5. आयुक्त परिवहन विभाग,
   राज. जयपुर।
6. निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला,
   राज. जयपुर,
7. निदेशक पुलिस दूर संचार,
   राज जयपुर।

विषयः वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों में अचल सम्पत्ति का विवरण अंकित करने के संबंध में।

संदर्भः कार्मिक (क–3/ जांच) विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक 9(5)(30) कार्मिक/क–3/जांच/2004 दिनांक 23.01.2007

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के कम में अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आया है कि राजसेवकगण द्वारा अपने वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में अचल सम्पत्ति का विवरण अंकित नहीं किया जा रहा था तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन **प्रतिवेदन के अंतिम प्रपत्र में निम्न प्रकार से अंकन किया जा रहा है :–**

I पूर्वानुसार (as previous)
II कोई परिवर्तन नही (no change)
III कोई अतिरिक्त नहीं (no additions)
IV पूर्व वर्षो अनुसार (as in the previous year), इत्यादि

अतः कार्मिक (क–3/जांच) विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक 9(5)(30) कार्मिक/क–3/जांच/2004 दिनांक 23.01.2007 की प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उक्त परिपत्रानुसार अपने वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के अंतिम प्रपत्र में अचल सम्पत्ति का स्पष्ट विवरण अंकित करना सुनिश्चित करवाने का श्रम करें।

भवदीय,

(वी.एस. सिंह)
प्रमुख शासन सचिव,गृह